



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 26 जून, 2019/5 आषाढ़, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जून, 2019

संख्या: गृह (ए) ए (1) 47/2018.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक (17) की धारा 11 की उप-धारा (1) के साथ पठित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक,

हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, जिला सिरमौर में पुलिस थाना पुरूवाला का सृजन करते हैं और इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या (3) में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित उक्त सृजित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में अन्तर्गत करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम	पुलिस थाना जिससे इस अधिसूचना द्वारा अन्तर्गत किए गए हैं	पुलिस थाना जिसमें इसके पश्चात् सम्मिलित किए जाने हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भंगानी	1. भंगानी 2. उपरली भंगानी 3. चिलोई निचली 4. मेहरूवाला 5. नारीवाला 6. पहाड़ीवाला 7. गुरुवाला 8. सिंघपुरा	पुलिस थाना, पांवटा साहिब	पुलिस थाना, पुरूवाला
2.	खोदरी माजरी	1. माजरी 2. खोदरी माजरी 3. गोजर 4. डाण्डी 5. चौकीवाला 6. अडैन 7. निचली भूडडी	यथोपरि	यथोपरि
3.	कलाथा बढाणा	1. बढाणा 2. कलाथा 3. बेलधार 4. नैना बास 5. मसरानी 6. किल्लौड 7. सहस्त्र धारा 8. छिबरू 9. खैरी	यथोपरि	यथोपरि
4.	गौरखूवाला	1. गौरखूवाला 2. दुधला 3. खोड़ोवाला 4. खोड़ोवाला भूड़	यथोपरि	यथोपरि
		5. श्यामपुर 6. श्यामपुर भूड़		
5.	डोबरी सालवाला	1. सालवाला 2. डोबरी 3. अम्बीवाला 4. पुरूवाला 5. धमौण 6. जाजली 7. कुनैर 8. बेहडीवाला	यथोपरि	यथोपरि
6.	मानपुर देवड़ा	1. मानपुर देवड़ा	यथोपरि	यथोपरि

7.	डाण्डा पागर	1. डाण्डा 2. पागर 3. डाण्डीवाला 4. कुलथीना 5. सैराव 6. खील 7. अधवाड़ 8. कंडेला 9. लोभी 10. किरोग 11. नावी 12. शम्याला	यथोपरि	यथोपरि
8.	अम्बोया	1. अम्बोया 2. हटवाल 3. चिलोई उपरली 4. चमार डाण्डी	यथोपरि	यथोपरि
9.	राजपुर	1. राजपुर 2. कांगड़ा 3. गुरासा 4. दिघाली 5. कोटड़ा 6. राम नगर	यथोपरि	यथोपरि
10.	नघेता	1. नघेता 2. आगरों 3. ब्यास 4. ब्यासली 5. भैला 6. धनला 7. थापल 8. मुरती नगर 9. केरका	यथोपरि	यथोपरि
11.	डाण्डा काला आम्ब	1. टौरु 2. डाण्डा आंज 3. काला आम्ब 4. बिपटवाड़ 5. बौबरी 6. बरोटीवाला	यथोपरि	यथोपरि
12.	शिवा	1. शिवा 2. सुनोग	यथोपरि	यथोपरि
		3. रुदाना 4. जिजला 5. भरली 6. अम्बाड़ा 7. थड़ा		
13.	बनौर	1. बनौर 2. अप्पर 3. छितली 4. धनवासा 5. डिमटवाड़ 6. निगाली 7. माईनबाग 8. खतवाड़ 9. कुमलाह 10. आंदरा	यथोपरि	यथोपरि

14.	शिवपुर	1. शिवपुर 2. भुंगरनी 3. हरिपुर टोहाना 4. पट्टी नत्था सिंह 5. बरोटीवाला 6.. आम्बवाला 7. सिंघपुरा 8. अकालगढ़	यथोपरि	यथोपरि
15.	नवादा	1. नवादा	यथोपरि	यथोपरि
16.	कुन्जा मतरालियों	1. कुन्जा मतरालियों	यथोपरि	यथोपरि
17.	मुंगलोवाला करतारपुर	1. मुंगलोवाला 2. करतारपुर 3. सिरमौरी ताल 4. गिरी बस्ती 5. बालीवाला	यथोपरि	यथोपरि
18.	फूलपुर	1. फूलपुर 2. बांगरन 3. शमशेरगढ़ 4. काहनूवाला	यथोपरि	यथोपरि
19.	निहालगढ़	1. निहालगढ़ 2. अजौली	यथोपरि	यथोपरि
20.	मालगी	1. मालगी 2. दधयात 3. सालग सड्डी 4. काण्डो 5. नाडी	यथोपरि	यथोपरि
21.	कमरउ	1. कमरउ 2. चौकी 3. मुनाना 4. शालना 5. बलदवा 6. बोहल 7. तिलोरधार 8. कानकोट	यथोपरि	यथोपरि
		9. बनाना 10. खुईनल 11. छेवला 12. बसोग 13. खजियार 14. सुखारा 15. पारलो		
22.	सखोली	1. काण्डो 2. सखोली 3. बीरखना 4. मझोली 5. दवाना गाजुण 6. डाग 7. शिलोंग 8. रोवाना 9. रिठेत 10. नलिया 11. लवागो 12. तरवा 13. शठोड	यथोपरि	यथोपरि

23.	कठवार	1. कठवार 2. उदेईना 3. सेती 4. मंढी 5. टिप्परी 6. दिया 7. पिपलात	यथोपरि	यथोपरि
24.	कोडगा	1. शिकाण्डो 2. बाना 3. महना 4. हनलोग 5. पुनभार 6. कुरला 7. कुना 8. लोहा नवाना 9. चमुईला	यथोपरि	यथोपरि
25.	सतौन	1. सतौन 2. नव बाडवा 3. रुठेत	यथोपरि	यथोपरि
26.	काण्टी मश्वा	1. मश्वा 2. कांटी 3. कुडोली 4. जलौठी 5. खील 6. निगाली 7. ढाब-पिपली	यथोपरि	यथोपरि
27.	चांदनी	1. अम्बोण 2. जनणीया 3. शडियार	यथोपरि	यथोपरि
28.	अजोली	1. किशनकोट 2. नारीवाला 3. अजोली	यथोपरि	यथोपरि
29.	भजौन	1. बाग 2. बडता 3. हावडा 4. भजोण 5. पैदुवा 6. गाबर 7. नीम 8. कातली 9. जाखडा 10. मानल 11. तापडी	यथोपरि	यथोपरि
30.	बडवास	1. बडवास 2. काण्डो 3. चोकी मृगवाल	यथोपरि	यथोपरि
31.	दुगाना	1. दुगाना 2. शमाह	यथोपरि	यथोपरि
32.	छछेती	1. छछेती 2. सायर 3. सारा 4. काण्डो नाडी 5. गातु	यथोपरि	यथोपरि

33.	शावगा काण्डो	1. काण्डो 2. पमता 3. जुईनल 4. शावडी	यथोपरि	यथोपरि
34.	जामा	1. जामना 2. थाना 3. काण्डो 4. चियोग 5. माटला 6. पभार	यथोपरि	यथोपरि

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / —
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home (A) A (1)47/2018 dated 14-06-2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th June, 2019

No. Home (A) A (1)47/2018.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No.17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, Himachal Pradesh is pleased to create of Police Station Puruwala in District Sirmaur and to transfer the villages as enumerated in Column No. (3) from the local area of the create the said Police Station mentioned in column (4) to the local area of the said created Police Station mentioned in column (5) of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. (2)	Police Station from which transferred by this Notification	Police Station in which hereinafter include
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bhangani	1. Bhangani 2. Upperli Bhangani 3. Chilloi Nichli 4. Mehruwala 5. Nariwala 6. Pahariwala 7. Guruwala 8. Singhapura	Police Station Paonta Sahib	Police Station Puruwala

2.	Khodri Majri	1. Majri 2. Khodri Majri 3. Gojjar 4. Dandi 5. Chowkiwala 6. Adain 7. Nichli Bhuddi	-do-	-do-
3.	Kalatha Bhadana	1. Badhana 2. Kalatha 3. Baldhar 4. Naina Bas 5. Masrani 6. Killaur 7. Sahastra Dhara 8. Chibru 9. Khairi	-do-	-do-
4.	Gorkhuwala	1. Gorkhuwala 2. Dudhla 3. Khodowala 4. Khodowala Bood 5. Shyampur 6. Shyampur Bhood	-do-	-do-
5.	Dobri Salwala	1. Salwala 2. Dobri 3. Ambiwala 4. Puruwala 5. Dhamon 6. Jajli 7. Kunair 8. Behriwala	-do-	-do-
6.	Manpur Devra	1. Manpur Devra	-do-	-do-
7.	Danda Pagar	1. Danda 2. Pagar 3. Dandiwala 4. Kulthina 5. Seirav 6. Kheel 7. Adhwar 8. Kandela 9. Lobhi 10. Kirog 11. Navi 12. Shamyala	-do-	-do-
8.	Amboya	1. Amboya 2. Hatwal 3. Chilo Uperli 4. Chamar Dandi	-do-	-do-
9.	Rajpur	1. Rajpur 2. Kangra 3. Gurasa 4. Dighali 5. Kotra 6. Ram Nagar	-do-	-do-

10.	Nagheta	1. Nagheta 2. Agron 3. Byas 4. Byasli 5. Bhaila 6. Dhanla 7. Thapal 8. Murti Nagar 9. Kerka	-do-	-do-
11.	Danda Kala Amb	1. Toru 2. Danda Anj 3. Kala Amb 4. Biptwar 5. Bobri 6. Barotiwala	-do-	-do-
12.	Shiva	1. Shiva 2. Sunog	-do-	-do-
		3. Rudana 4. Jijla 5. Bharli 6. Ambara 7. Thada		
13.	Banour	1. Banour 2. Upper 3. Chhitli 4. Dhanwasa 5. Dimtwar 6. Nigali 7. Minebag 8. Khatwar 9. Kumlah 10. Andra	-do-	-do-
14.	Shivpur	1. Shivpur 2. Bhuangarni 3. Haripur Tohana 4. Patti Nath Singh 5. Barotiwala 6. Ambwala 7. Singhpora 8. Akalgarh	-do-	-do-
15.	Nawada	1. Nawada	-do-	-do-
16.	Kunja Matralion	1. Kunja Matralion	-do-	-do-
17.	Munglowala Kartarpur	1. Munglowala 2. Kartarpur 3. Sirmauri Tal 4. Giri Basti 5. Baliwala	-do-	-do-

18.	Phoolpur	1. Phoolpur 2. Bangran 3. Shamshegarh 4. Kahanuwala	-do-	-do-
19.	Nihal Garh	1. Nihalgarh 2. Aioli	-do-	-do-
20.	Malgi	1. Malgi 2. Dadhyat 3. Salag Saddi 4. Kando 5. Nadi	-do-	-do-
21.	Kamrou	1. Kamrou 2. Choki 3. Munana 4. Shalna 5. Baldwa 6. Bohal 7. Tilordhar 8. Kankot 9. Banana 10. Khuinal 11. Chhewla 12. Basog 13. Khajiyar 14. Sukhara 15. Parlo	-do-	-do-
22.	Sakholi	1. Kando 2. Sakholi 3. Birkhana 4. Mjholi 5. Dawana Gajun 6. Dhang 7. Shilog 8. Rowana 9. Ritheth 10. Naliya 11. Lawango 12. Tarwa 13. Shathor	-do-	-do-
23.	Kathwar	1. Kathwar 2. Udheina 3. Seti 4. Mandhi 5. Tippi 6. Diya 7. Piplat	-do-	-do-
24.	Korga	1. Shikando 2. Bana 3. Mehna 4. Hanlog 5. Punbhar 6. Kurla 7. Kuna 8. Loha Nawana 9. Chamuiela	-do-	-do-

25.	Satoun	1. Satoun 2. Nava Barwa 3. Ruthet	-do-	-do-
26.	Kanti Mashwa	1. Mashwa 2. Kanti 3. Kudholi 4. Jalothi 5. Khil 6. Nigali 7. Dhab Pipli	-do-	-do-
27.	Chandni	1. Amboon 2. Janniya 3. Shadiyar	-do-	-do-
28.	Ajoli	1. Kishankot 2. Nariwala 3. Ajoli	-do-	-do-
29.	Bhajon	1. Bag 2. Barta 3. Hawra 4. Bhajon 5. Peduwa 6. Gabbar 7. Neem 8. Katli 9. Jhakhra 10. Manal 11. Tapri	-do-	-do-
30.	Barwas	1. Barwas 2. Kando 3. Choki-Mirgwal	-do-	-do-
31.	Dugana	1. Dugana 2. Shamah	-do-	-do-
32.	Chhachheti	1. Chhachhheti 2. Syar 3. Sara 4. Kando Nadi 5. Gattu	-do-	-do-
33.	Shawaga Kando	1. Kando 2. Pamta 3. Juinal 4. Shawari	-do-	-do-
34.	Jamma	1. Jamma 2. Thana 3. Kando 4. Chiyog 5. Matla 6. Pabhar	-do-	-do-

By order,

(MANOJ KUMAR),
Addl. Chief Secretary (Home).

PUBLIC WORKS DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-171002, the 22nd June, 2019*

No. PBW(B&R)(B)F(7)-2/2018.—In continuation to this department notification No. PBW(B)F(7)-3/2009-II dated 22nd January, 2019, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the following mentioned roads as Major District Roads (MDRs):

Sr. No.	Name of Road	District	Length (kms)	MDR Nos.
99	Patsari-Nakrari-Jharag-Brall-Sheelghat road	Shimla	19.210	108
100	Kharapather-Sheelghat-Sharontha-Tikkar road	Shimla	33.560	109

Accordingly the total length of Major District Roads in the State will be 4480.985 kms.

By order/-

(ANIL KUMAR KHACHI),
Addl. Chief Secretary (PW).

INDUSTRIES DEPARTMENT

(A-Section)

NOTIFICATION*Shimla-2, the 20th June, 2019*

No. Ind.-A(B)8-1/2013.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Shri Puneet Kumar, Geologist to the post of State Geologist, Class-I (Gazetted) in the pay band of ₹ 15600–39100+7800 Grade Pay in the Department of Industries, Himachal Pradesh with immediate effect, subject to the final outcome of OA No. 4314/2018 titled as “Anil Kumar Singh Rana Vs. State of H.P.”

The officer shall remain on probation for a period of two years. He shall also exercise option for fixation of pay under the provisions of FR-22, within a period of one month from the date of issue of this Notification. He will submit his joining report to this department through the Director of Industries, H.P.

By order,

Sd/-
Addl. Chief Secretary (Inds.).

**In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,
District Kangra, H.P.**

1. Mr. Sunil Kumar s/o Bhadur Singh, r/o Vill. Jamula, P.O. Tang Narwana, Tehsil Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.
2. Manju Devi d/o Late Sh. Ajit Kumar, r/o Vill. Dranga, P.O. Chahri, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P.

Versus

General Public

Whereas the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 15-01-2019 at his residence, Vill. Jamula, P.O. Tang Narwana but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages *i. e.* Secretary, G.P. Tang Narwana;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 30-06-2019 at Tehsil Office Dharamshala at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed *ex-parte* against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued today under my hand and seal of the court on this 29-05- 2019.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू हि0 प्र0

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री चेत राम बनाम आम जनता

किस्म मुकद्दमा.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव व डाकघर पनिहार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने बमय शपथ—पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना—पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रकाश चन्द लिखा गया है। जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम ओम प्रकाश है जो कि सही है। इसे दुरुस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रकाश चन्द की जगह ओम प्रकाश दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री ललित कुमार पुत्र श्री मीर सिंह बनाम आम जनता

किस्म मुकद्दमा.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री ललित कुमार पुत्र श्री मीर सिंह, निवासी गांव पनिहार, फाटी सेहलू कोठी गोपालपुर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ—पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना—पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामधन लिखा गया है। जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम ललित कुमार है जोकि सही है। इसे दुरुस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रामधन की जगह ललित कुमार दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री लाल सिंह पुत्र श्री सीहणू बनाम आम जनता

किस्म मुकद्दमा.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री लाल सिंह पुत्र श्री सीहणू, निवासी गांव वुहारा, फाटी कलवारी, कोठी पलाच, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ—पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना—पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में लालू लिखा गया है। जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम लाल सिंह है जोकि सही है। इसे दुरुस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को लालू की जगह लाल सिंह दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री योगराज पुत्र श्री परस राम बनाम आम जनता

किस्म मुकद्दमा.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री योगराज पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव कण्डी, डाकघर पनीहार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजू लिखा गया है। जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम योगराज है जोकि सही है। इसे दुरुस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजू की जगह योगराज दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री निरत सिंह पुत्र श्री सेस राम, निवासी गांव शलियाउडी, डाकघर चकुरठा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

व

श्रीमती करिशमा पुत्री श्री राकेश कुमार, निवासी गांव व डाकघर मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
प्रार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उन्होंने दिनांक 10-02-2016 को स्थान शलियाउडी, डाकघर चकुरठा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू में अपनी शादी हसब रिवाज मुल्क व कौम के आपस में कर ली है। जोकि ग्राम पंचायत मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है और अब वे अपने विवाह का इन्द्राज ग्राम पंचायत मंगलौर के अभिलेख में करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री निरत सिंह पुत्र श्री सेस राम व श्रीमती करिश्मा पुत्री श्री राकेश कुमार की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत मंगलौर के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हि0 प्र0 विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 10-02-2016 इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा.—नगर पंचायत बन्जार के अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी श्री सुशील कुमार, निवासी गांव छेत, डाकघर चैहणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थिन के पुत्रों युवराज व कार्तिक के पैदाईश के रिकार्ड में प्रार्थिन का नाम सपना लिखा गया है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थिन का नाम मनोरमा देवी है जो सही है। इसे नगर पंचायत बन्जार के अभिलेख में दुरुस्त करवाना चाहती है।

इस सम्बन्ध में इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन के पुत्रों युवराज व कार्तिक के पैदाईश के रिकार्ड में प्रार्थिन का नाम सपना के स्थान पर मनोरमा देवी नगर पंचायत बन्जार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति पेश करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा.—नगर पंचायत बन्जार के अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्री मोहर सिंह पुत्र श्री धाजू राम, निवासी गांव कमेडा, डाकघर वठाहड, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ-पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी की पुत्री गुंजन के पैदाईश के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रोशन लाल लिखा गया है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम मोहर सिंह है जो सही है। इसे नगर पंचायत बन्जार के अभिलेख में दुरुस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पुत्री गुंजन के पैदाईश के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रोशन लाल के स्थान पर मोहर सिंह नगर पंचायत बन्जार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति पेश करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती घूमदासी पत्नी श्री अमर सिंह बनाम आम जनता

किस्म मुकद्दमा.—नगर पंचायत बन्जार के अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

श्रीमती घूमदासी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी गांव ठाणेधार, डाकघर गहीधार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ—पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना—पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थिन के पुत्र भूपैन्द्र सिंह के पैदाईश के रिकार्ड में प्रार्थिन का नाम गुमा दासी लिखा गया है व प्रार्थिन के दूसरे पुत्र सुमीर के पैदाईश के रिकार्ड में प्रार्थिन का नाम गुमा देवी लिखा गया है जो कि गलत है। जबकि प्रार्थिन का नाम घूमदासी है जो सही है। इसे नगर पंचायत बन्जार के अभिलेख में दुरुस्त करवाना चाहती है।

इस सम्बन्ध में इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिनी के पुत्रों भूपैन्द्र सिंह व सुमीर के पैदाईश के रिकार्ड में प्रार्थिन का नाम क्रमशः गुमा दासी व गुमा देवी के स्थान पर घूमदासी नगर पंचायत बन्जार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति पेश करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री झावे राम पुत्र श्री तारा चन्द, निवासी गांव धियागी, डाकघर जिभी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र स्व० श्री रणजीत सिंह की मृत्यु तिथि 31-08-2018 है, जोकि ग्राम पंचायत खाडागाड, तहसील बन्जार के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र स्व० श्री रणजीत सिंह की मृत्यु तिथि 31-08-2018 ग्राम पंचायत खाडागाड के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि० प्र०।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि० प्र०

श्री इन्द्र प्रकाश पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गांव नधारा, डाकघर अनाह, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी दादी स्व० श्रीमती मूर्तू देवी पत्नी श्री भगत राम की मृत्यु तिथि 05-02-1996 है, जोकि ग्राम पंचायत श्रीकोट, तहसील बन्जार के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की दादी स्व० श्रीमती मूर्तू देवी की मृत्यु तिथि 05-02-1996 को ग्राम पंचायत श्रीकोट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि० प्र०।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती संजय कुमारी पत्नी श्री विकास हाल, निवासी गांव शलाड, डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्राथिन।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती संजय कुमारी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री आरुही भारती की जन्म तिथि 05-11-2014 है, जो कि ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती संजय कुमारी की पुत्री आरुही भारती की जन्म तिथि 05-11-2014 को ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती संजय कुमारी पत्नी श्री विकास, हाल निवासी गांव शलाड, डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्राथिन।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती संजय कुमारी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री रिया भारती की जन्म तिथि 03-10-2017 को जोकि ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे अब दर्ज करवाना चाहती है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती संजय कुमारी की पुत्री रिया भारती की जन्म तिथि 03-10-2017 को ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री भीमी राम पुत्र श्री लगन चन्द, निवासी गांव डोघर, डाकघर कोटला, उप-तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भीमी राम ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र रवि कांत ठाकुर की जन्म तिथि 30-12-2013 है, जोकि ग्राम पंचायत कोटला के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भीमी राम के पुत्र रवि कांत ठाकुर की जन्म तिथि 30-12-2013 ग्राम पंचायत कोटला के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री ठाकुर सिंह, निवासी गांव चाहडी, डाकघर चेथर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगदीश कुमार ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र एकांत ठाकुर की जन्म तिथि 23-12-2015 है, जो कि ग्राम पंचायत शिकारी घाट के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जगदीश कुमार के पुत्र एकांत की जन्म तिथि 23-12-2015 ग्राम पंचायत शिकारी घाट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वाकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री गुमत राम पुत्र श्री हीरू राम, निवासी गांव सजबाड, डाकघर सोझा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुमत राम ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री चन्द्र रेखा की जन्म तिथि 06-09-2018 है, जो कि ग्राम पंचायत खाडागाड के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गुमत राम की पुत्री चन्द्र रेखा की जन्म तिथि 06-09-2018 ग्राम पंचायत खाडागाड के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री भादर सिंह, निवासी गांव टील, डाकघर बछूट, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जितेन्द्र सिंह ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र आरब की जन्म तिथि 10-09-2017 है, जोकि ग्राम पंचायत टील के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जितेन्द्र सिंह के पुत्र आरब की जन्म तिथि 10-09-2017 ग्राम पंचायत टील के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री कमल नेत्र पुत्र श्री प्रशोतम सिंह, निवासी गांव घाट, डाकघर चेथर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कमल नेत्र ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र दीक्षित मैहता की जन्म तिथि 31-08-2015 है, जोकि ग्राम पंचायत शिकारी घाट के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कमल नेत्र के पुत्र दीक्षित मैहता की जन्म तिथि 31-08-2015 ग्राम पंचायत शिकारी घाट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-06-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 30-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री अनुज प्रकाश गौतम पुत्र श्री केवल कृष्ण बनाम आम जनता

किस्म मुकद्दमा.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

श्री अनुज प्रकाश गौतम पुत्र श्री केवल कृष्ण, निवासी गांव घियागी, फाटी घियागी, कोठी खाडागाड, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने बमय शपथ—पत्र इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना—पत्र इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड फाटी घियागी में चेत राम उर्फ अनुज कुमार व कुछ रिकार्ड में चेत राम उर्फ अनुज प्रकाश गौतम लिखा गया है। तथा फाटी सजवाड के राजस्व रिकार्ड में चेत राम उर्फ अनुज व कुछ रिकार्ड में चेत राम उर्फ अनुज प्रकाश गौतम लिखा गया है, जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का नाम अनुज प्रकाश गौतम है जोकि सही है। इसे दुरुस्त करवाना चाहता है।

इस सम्बन्ध में इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को चेत राम उर्फ अनुज कुमार, चेत राम उर्फ अनुज प्रकाश गौतम, चेत राम उर्फ अनुज, चेत राम उर्फ अनुज पंकाश गौतम आदि नामों की जगह अनुज प्रकाश गौतम करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-07-2019 तक असालतन व वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दुरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 10-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 10/2015

केहर सिंह पुत्र मोतू, निवासी व फाटी रैला उप-तहसील सैन्ज

वादी।

बनाम

1. नीमू देवी पुत्री नरु राम हाल पत्नी गौतम राम, निवासी माईगाड़, उप-तहसील सैन्ज
2. फती देवी पुत्री नरु हाल पत्नी सिधु राम, निवासी सराचा, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी
3. सूमो देवी पुत्री नरु हाल पत्नी ढोले राम, निवासी डावण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी

प्रतिवादीगण।

विषय.—दावा तकसीम जेर धारा 123 (हि0प्र0) भू-राजस्व अधिनियम, 1954

उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि केहर सिंह पुत्र मोतू, निवासी गांव व फाटी रैला उप-तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू ने भूमि खाता खतौनी नं0 849/1069 खसरा नं0 3652, रकबा तादादी 1-11-0 बीघा फाटी, रैला कोठी भलाण की तकसीम किए जाने हेतु इस अदालत में दावा दायर कर रखा है। उपरोक्त प्रतिवादी को साधारण तरीके से समनों की तामील नहीं होनी पाई जा रही है।

अतः इस विज्ञापन द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस दावा तकसीम में अगली सुनवाई की तिथि 29-06-2019 निर्धारित की गई है आप उक्त तिथि को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु असालतन व वकालतन इस अदालत में हाजिर हों। अन्यथा आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 31-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैन्ज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

**ब अदालत श्री कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी व नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
द्वितीय श्रेणी सैन्ज, उप-तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0**

श्री निका राम पुत्र श्री दिला राम, निवासी गांव पढारनी, डाकघर चकुरठा, उप-तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—दादा मालक की गुमशुदगी पर मकफूद उल-खबरी बारे

श्री निका राम पुत्र श्री दिला राम, निवासी गांव पढारनी, डाकघर चकुरठा, उप-तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है उसके दादा मालक श्री दूलू पुत्र टीण्डू, निवासी गांव पढारनी, मोहाल चकुरठा कोठी बूंगा लगभग 50 वर्ष से लापता है इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है किसी को इसके बारे में माल कागजात में अमल दरामद बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज पेश करे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 29-06-2019 तक असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दूलू पुत्र टीण्डू की गुमशुदगी का इन्द्राज दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैन्ज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

